"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई 2007—आषाढ़ 29, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से. (1987) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, नगरीय प्रशासन को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा/रेशम तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1988) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन, संसदीय कार्य, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री नन्द कुमार, भा. प्र. से. (एमएच:1989) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार), सचिव, सूचना आयोग, सदस्य सचिव, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को केवल सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार) के प्रभार से मुक्त करते हुये अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक ई-1-7/2006/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त अधिकारी श्री आलोक अवस्थी, भा. प्र. से., अपर संचालक, जनसंपर्क, संचालनालय को जिला प्रशिक्षण के लिये कलेक्टरेट, रायपुर में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन माह के लिये स्थानापन्न विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ किया जाता है. साथ ही श्री अवस्थी को अपर संचालक, जनसंपर्क का कार्य भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

2. श्री आलोक अवस्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टरेट, रायपुर के पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के अंतर्गत प्रतिष्ठा एवं ज़िम्मेदारी में ऊपर बताये नियमों की अनुसूची 3-बी में सम्मिलित अपर कलेक्टर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री अवस्थी पूर्वान्ह में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में कलेक्टरेट रायपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा अपरान्ह में अपर संचालक, जनसंपर्क, संचालनालय, रायपुर का कार्य भी संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2007

क्रमांक पार्ट एफ 2-3/2007/1-8.—श्री सी. एस. डेहरे (रा. प्र. से.) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जून 2007

क्रमांक ई-7/40/2004/1/2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा.प्र.से. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 18-06-2006 से 23-06-2006 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17, 24 जून 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनंत, आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अनंत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनंत, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2007

क्रमांक ई-7/6/2007/1/2.—श्री एम. एस. परस्ते, भा. प्र. से., कलेक्टर, नारायणपुर को दिनांक 26-06-2007 से 04-07-2007 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री परस्ते आगामी आदेश तक कलेक्टर, नारायणपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री परस्ते को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री परस्ते अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री परस्ते के उक्त अवकाश अवधि में, श्री जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कलेक्टर, नारायणपुर का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2007

क्रमांक ई-7/3/2007/1/2.—सुश्री आर. संगीता, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, रायपुर को दिनांक 13-08-2007 से 14-09-2007 तक (33 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें उनके पति के व्यय पर विदेश यात्रा (अमेरिका) पर जाने की अनुमति दी जाती है. साथ ही दिनांक 11, 12-08-2007 एवं 15, 16-09-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री आर. संगीता आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री आर. संगीता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आर. संगीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2007

क्रमांक ई-7/37/2004/1/2.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग को दिनांक 10-07-2007 से 13-07-2007 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15-07-2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2007

क्रमांक ई-7/10/2005/1/2.—श्री अजयपाल सिंह, भा. प्र. से., आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर को दिनांक 30-05-2007 से 15-06-2007 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17-06-2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2007

क्रमांक 337/546/2007/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकार, सचिव के स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 8-6-2007 से 15-06-2007 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ताम्रकार को सचिव के स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एल. ताम्रकार अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव के स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2007

क्रमांक 341/1644/2007/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 278-79/51/2007/1-8/स्था., दिनांक 18-5-2007 द्वारा श्री के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 27-5-2007 से 30-05-2007 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 आदेश दिनांक 18-5-2007 के अनुसार यथावत् होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक/5481/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	रातापायली प. ह. नं. 19	0.90	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	रातापायली एनीकट योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जुलाई 2007

क्रमांक/5482/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सुखरी प. ह. नं. 20	0.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	रातापायली एनीकट योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 4 जुलाई 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/28/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	आलवाही, प. ह. नं. 23	0.480	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत, सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन अभियन्ता सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2007

क्रमांक/4646/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-सेम्हरबांधा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.331 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231	0.061
6/1	0.028
6/2	0.030
288/2	0.048

	(1)	(2)
	288/4	0.020
	31/2	0.028
	172	0.021
	155/3	0.012
	179	0.040
	511	0.043
योग	10	0.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के बॉयी तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मोहला, जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2007

क्रमांक/4647/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-हाथीकन्हार, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.528 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	245/1	0.121
	245/2	0.100
	245/3	0.077
	18/1	0.061
	17/3	0.127
	244/6	0.042
योग	6	0.528

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के बॉयी तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मोहला, जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2007

क्रमांक/4648/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-मोंगरा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.263 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
146/2	0.275
163/2	0.529
258/1	0.162
258/14	0.182
258/15	0.247
121/1	0.677
199/6	0.081
204/1	0.044
216/2	(शून्य पक्का कुआ मुआवजा हेतु)
125	0.077
123/1	0.024
128/3	0.020

(1)	(2)
129/2	0.100
322	0.061
476/3	0.081
477/4	0.060
376/23	0.073
474/4	0.030
443/15	0.129
348/2	0.104
443/7	0.284
113/1	0.040
319	0.116
443/1	0.196
127	0.092
320	0.100
348/4	0.075
126	0.104
331	0.040
330/1	0.060
351	0.100
315	0.020
451/21	0.080
योग 33	4.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के बॉयी तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मोहला, जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2007

क्रमांक/4649/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-धानापायली, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110	0.097
395	0.040
योग 2	0.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के बॉयी तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मोहला, जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.